//1//

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 57 / 2018

**उनवान**

दिलीप सिंह गौड पुत्र मदन सिंह गौड जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद
-- वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
-- प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

---

–: निर्णय :– दिनांक :– 28·10·21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना के वंर्किग खसरा नम्बर 649 रकबा 19–14–0 में से 12–0–0 भूमि वादी को कैम्प तिलाना में दिनांक 07.08.1975 को पूर्व सैनिक होने के नाते आवंटन की गयी तब से वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी का आंवटन आदेश उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 12.08.1975 को जारी किया गया जिसकी कम संख्या 9 पर वादी को उक्त आराजी के आवंटन का नोट अंकित है। हल्का पटवारी तिलाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 में वादी का उक्त आराजी पर कब्जा बताया गया है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आवंटन की पालना कर दी गयी किन्तु हाल जमाबंदी मे उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ल कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 649 में खाता संख्या 1 में दिनांक 4.08.75 को दिलीप सिंह गौड सैनिक के नाम 12–0–0 का अमल हो रखा है। नामान्तकरण का इन्द्राज नही है। उपखण्ड अधिकारी अजमेर के पत्र कंमाक 5714 दिनांक 9.9.75 से 12–0–0 आवंटन वादी के होने का पत्र सलंग्न है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार सम्वत् 2072–75 की गिरदावरी में खसरा नम्बर पड़त है। हाल खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.07 व 1735 रकबा 0.25 सिवायचक दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी को विधिवत आवंटित हुयी

   -- वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से व वादी का कब्जा होने से वादी वदग्रसत आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

   -- वादी

3. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 11 राजस्व अभिलेख व आवंटन के दस्तावेज पेश किये तथा वादी दिलीप सिंह गौड के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने पटवारी हल्का के बयान करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

**तनकी संख्या 1 :–**

वादी का कथन है कि ग्राम तिलाना के वंर्किग खसरा नम्बर 649 रकबा 19–14–0 में से 12 बीघा का आवंटन उसको पूर्व सैनिक होने के नाते किया गया। जिसके समर्थन में वादी ने आंवटन व कब्जा प्राप्ति के दस्तोवज पेश किये है। उक्त दस्तावेजो के अनुसार वादी को ग्राम तिलाना के वंर्किग खसरा नम्बर 649 रकबा 19–14–0 में से 12 बीघा का आवंटन दिनांक 12.08.1975 को किया गया। उपजिला अधिकारी द्वारा आदेश क्रमाक उअ/भू आवंटन/12/75/42 दिनांक 12.08.75 जारी किया गया जिसकी क्रम संख्या 9 में वादी के नाम उक्त आराजी आवंटित होने का इन्द्राज है। तथा आदेश की प्रति तहसीलदार को भेज कर कब्जा संभलाने व डिमांड कायम करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। वादी द्वारा सम्वत् 2033 व 2034 में उक्त आराजी के लगान अदायगी कर रसीद भी पेश की गयी है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नम्बर 649 के आगे **"आंवटन 4.8.75 को दिलीप सिंह गौड सैनिक 12–0–0"** अंकित है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2055 से 2058, 2051 से 2054, 2059 से 2061, 2043 से 2046, पेश की है। उक्त सभी खसरा गिरदावरी के कालॅम नम्बर 5 में वादी का नाम आंवटी के रूप में दर्ज है। वादी के बयान से भी वादी के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जे की पुष्टि होती है। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत वादी को हुआ है। वादी को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। पटवारी हल्का ने भी अपने बयान में आंवटन निरस्त हाने की कोई जानकारी नही होना बताया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 2 व 3** :– तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन वादी को विधिवत किया गया तथा मोके पर कब्जा व दखल भी सौपा गया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के आवंटन का अमल दरामद नामान्तकरण द्वारा नही किये जा कर सीधे ही आवंटन का नोट अंकित करने से बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त नोट को हाल राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नही किया गया जिस कारण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय नामानतकरण दर्ज नही कर नोट अंकित करने की त्रुटि हेतु वादी जिम्मेदार नही है। वादी को उक्त आराजी का विधिवत आवंटन हुआ था जो वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व साक्ष्य से सिद्व होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में भी वादी का नाम आवंटी के रूप में दर्ज है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख मे किस [illegible] वादी के नाम दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज [illegible] के कारण वादी का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन व कब्जे के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 3.1.18 को तैयार मौका पर्चा, खसरा गिरदावरी, धारा 91 की रसीद [illegible] 2078 व हल्का पटवारी के बयान के अनुसार भी वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त खसरा नम्बर 649 के हाल खसरा नम्बर 1375/0.42, 1376/0.11, 1377/0.14, 1378/0.20, 1382/0.40, 1385/1.07 व 1735/4980 रकबा 0.85 बने है। पटवारी हल्का के वंर्किग खसरा नम्बर 649 के हाल खसरा नम्बर 1385 व

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

1735/4980 पर वादी का कब्जा है। वादी को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन आदेश का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया हो अथवा नही। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी को उक्त आराजी पर गैर खातेदारी अधिकार पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रदान नही किये गये थे साथ ही वादी के आवंटन आदेश की पालना भी तत्समय विधिवत तरीके से वंर्किग जमाबंदी में नही की गयी। वादी अपनी आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार, आवंटन आदेश की पालना सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के आधार पर इन्द्राज दुरूस्ती में गैर खातेदारी प्राप्त करने का ही अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 1385 रकबा 1.07 व 1735/4980 रकबा 0.85 पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है कि वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner